[2019] 6 एस. सी. आर. 994

विजय मोहन सिंह

वी.

कर्नाटक राज्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 1656)

अप्रैल 10,2019

[एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 आर/डब्ल्यू। 34 , 498 - ए, 304-बी आर/डब्ल्यू। धारा 34-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी-अभियुक्त (पीड़ित का पति)

मृतक) ने पीड़ित पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी और भाग गया

घटनास्थल से-जिसके परिणामस्वरूप, पीड़ित को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई-मृत्यु की घोषणा

उसे-पुलिस ने तीन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया अपीलार्थी सहित-दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त। 498

ए, 304-बी, 303 आर/डब्ल्यू। आई. पी. सी. की धारा 34 और एस. एस. 3 , 4 & 6 दहेज की

निषेध अधिनियम-निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया

अभियुक्त और उसे दोषी ठहराया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः पल भर में

मामला, पीड़ित द्वारा दी गई एक मृत्यु घोषणा थी जो थी

स्वतंत्र गवाहों यानी महानगर मजिस्ट्रेट और चिकित्सा अधिकारी द्वारा साबित और समर्थित-लेकिन वही था

निचली अदालत द्वारा कुछ मामूली विरोधाभासों/चूक पर खारिज कर दिया गया

- पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि

मृत्यु घोषणा को त्यागने में एक पेटेंट त्रुटि की और अन्य भौतिक साक्ष्य इसलिए, उच्च द्वारा हस्तक्षेप

अपीलार्थी के बरी होने के खिलाफ अपील में अदालत थी

न्यायसंगत-दहेज निषेध अधिनियम, 1961-एस. एस. 3 , 4 और 6.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. अपीलार्थी को शामिल करते हुए मृत्यु घोषणा अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किया गया, द्वारा डॉक्टर के साथ-साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जाँच करना जो मरने की घोषणा दर्ज की। उपरोक्त भारी होने के बावजूद

चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ मृत्यु घोषणा और महानगर मजिस्ट्रेट के बयान के रूप में साक्ष्य,

निचली अदालत ने कुछ मामूली विरोधाभासों/चूक पर इसे खारिज कर दिया। निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और आदेश से यह भी प्रतीत होता है कि उसने डॉक्टर को इतिहास देते हुए पीड़ित के प्रारंभिक बयान को अनुचित महत्व दिया जब उसे भर्ती किया गया था और जब उसने रसोई में खाना बनाते समय दुर्घटनावश जलने का इतिहास दिया था। हालाँकि, निचली अदालत ने मृत्यु घोषणा में दिए गए उसके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया। यहाँ तक कि आसपास की परिस्थितियों और चिकित्सा पर विचार करते हुए भी

सबूत और अन्य सबूत, बचाव पक्ष बुरी तरह विफल रहा है और साबित किया है कि यह एक आकस्मिक जलन/मृत्यु थी। अपीलार्थी को आखिरी बार घर में देखा गया था और घटना के तुरंत बाद वह भाग गया। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे।

[पैरा 9] [1007-एफ-एच; 1008-ए-बी] 2. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वह केवल इस आधार पर हो कि उच्च न्यायालय

क्या उन कारणों की जांच नहीं की गई है जिनके आधार पर बरी करने का आदेश पारित किया गया था और निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करके आरोपी को दोषी ठहराया गया है, तो इस अदालत द्वारा इसमें और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? [पैरा 10] [1008-सी]

साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हैं। अस्थिर और अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है। यह भी सामने आता है कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार है, हालांकि, उच्च न्यायालय केवल [2019] 6 एस. सी. आर. पर आधार पर बरी होने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

इस पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना कि दो विचार संभव हैं। [पैरा 12] [1011-एफ-एच]

4. अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य और निचली अदालत द्वारा बरी करते समय दर्ज किए गए निष्कर्षों का पुनः मूल्यांकन करने पर

अभियुक्त, इस न्यायालय की राय है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। इस न्यायालय ने पाया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें साक्ष्य की जांच पर दो उचित विचार संभव हों और इसलिए अभियुक्त का समर्थन करने वाले विचार को अपनाया जाना चाहिए। निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को शायद ही साक्ष्य के उचित विचार पर एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, बहुत कम एक उचित दृष्टिकोण। ट्रायल कोर्ट, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, ने मृत्यु घोषणा और अन्य भौतिक साक्ष्य, जिन पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, को त्यागने में एक पेटेंट त्रुटि की है। इसलिए, अपीलार्थी के बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप और साक्ष्य पर विचार करने पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि के निष्कर्ष को दर्ज करना उचित है। फैसले के तहत

अपीलमे कोनो हस्तक्षेपक आवश्यकता नहि अछि। [पैरा 13] [1012-ए-सी]

एटली वी। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807; उमेदभाई जादवभाई बनाम। गुजरात राज्य (1978) 1 एससीसी 228: [1978] 2 एस. सी. आर. 471; सम्बाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412: [1998] 3 एस. सी. आर. 280 पर भरोसा किया।

चंदू वी. महाराष्ट्र राज्य (2002) 9 एस. सी. सी. 408; सुरिंदर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 10 एस. सी. सी. 26:

कर्नाटक राज्य (2018) 5 एससीसी 790: [2018] 4 एस. सी. आर. 623; मदथिल नारायणन बनाम। केरल राज्य (2018) 14 एससीसी 513; मोहम्मद। अख्तर @कारी वी. बिहार राज्य (2019) 2 एस. सी. सी. 513-लागू नहीं।

विजय मोहन सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य

अहेर राजा खीमा बनाम। सौराष्ट्र राज्य [1955] 2

एससीआर 1285; K.Gopal रेड्डी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

(1979) 1 एससीसी 355 [1979] 2 एससीआर 265;

के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य

(1999) 3 एससीसी 309: [1999] 1 एस. सी. आर. 1222-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2002) 9 एस. सी. सी. 408

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[2003] 3 पूरक। एससीआर 401

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

(2003) 10 एससीसी 700

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[2004] 3 एससीआर 768

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1181

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[2006] 9 पूरक। एससीआर 249

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[2018] 4 एससीआर 623

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

(2018) 14 एस. सी. सी. 513

अप्रयोज्य

पै

रा 5.5

[1955] 2 एससीआर 1285

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.5

[1979] 2 एससीआर 265

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.5

[1999] 1 एससीआर 1222

पै

रा 6.5

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर 471

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

(2019) 2 एस. सी. सी. 513

अप्रयोज्य

पै

रा 14

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 1955 एससी 807

पै

रा 14

[1998] 3 एससीआर 280

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

2013 का सं. 1656

आपराधिक अपील संख्या 402 में गुलबर्गा में कर्नाटक सर्किट बेंच की उच्च कंपनी के दिनांक 08.02.2013 के निर्णय और आदेश से

2008 .

वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, चंद्र मोहन अनिसेट्टी, शाश गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जोसेफ अरिस्टोटल एस., श्रीमती प्रिया अरिस्टोटल, शिवा पी., श्रीमती फराह हाशमी, सुश्री अनीता शेनॉय, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 08.02.2013 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए,

2008 की आपराधिक अपील संख्या 402 में गुलबर्गा की सर्किट बेंच, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वत पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट-IV, बीदर (जिसे इसके बाद विद्वत 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित किए गए बरी किए जाने के आदेश और निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा विद्वत ट्रायल कोर्ट ने मूल आरोपी नं. 1 (अपीलार्थी) आई. पी. सी. की धारा 34,498 ए, 304-बी, 34 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और इसके परिणामस्वरूप मूल रूप से दोषी ठहराया गया। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त संख्या 1 और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसमें अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया, मूल अभियुक्त संख्या 1 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः

कि मृतक अभिलाषा के साथ अपीलार्थी का विवाह बीदर के गुरुद्वारा मंदिर में 11.12.2002 पर मनाया गया था। आरोप है कि

कि शादी से पहले, आरोपी ए 1 से ए 3 ने मृतक के माता-पिता से दहेज के रूप में Rs.50,000/और पांच तोला सोने की मांग की, लेकिन 6 तोला सोना और घरेलू सामान/बर्तन देने पर सहमति बनी और तदनुसार शादी की गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि शादी के छह महीने बाद, सभी अभियुक्तों ने मूल अभियुक्त नंबर 1 द्वारा संचालित बिजली की दुकान के लिए पूंजी के रूप में निवेश करने के लिए Rs.50,000/- के अतिरिक्त दहेज की मांग करना शुरू कर दिया और ऐसा मांग करते हुए, पीडब्लू 1,2,6 और 14 की सलाह के बावजूद, अल टू ए 3 ने मृतक को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता दी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जारी रखा और 13.2.2005 पर 3: 15 दोपहर में, उन्होंने इस आधार पर झगड़ा किया कि मृतक ने Rs.50,000/- की उक्त नकदी कैसे नहीं लाई। यह भी आरोप लगाया गया है कि पड़ोसियों के हस्तक्षेप से मृतक और आरोपी अलग हो गए और फिर मृतक ने अपने माता-पिता विजय मोहन सिंह को फोन किया।

कर्नाटक राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

लगभग 5 बजेः 00 पी. एम. यह आगे आरोप लगाया गया है कि उस समय ए 1 (यहाँ अपीलकर्ता) ने मृतक से पूछा कि उसने अपने माता-पिता को कैसे और क्यों फोन किया और यह कहकर कि वह उसकी हत्या करने जा रहा है और फिर ए 1 (यहाँ अपीलकर्ता) ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी और घर से भाग गया।

स्थान। कि मृतक को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं और यह पड़ोसी हैं जिन्होंने उसे बीदर के सरकारी अस्पताल और उसके बाद हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया और मृतक ने 5 बजे अंतिम सांस लीः 45 17.02.2005 पर अपराह्न।

महानगर मजिस्ट्रेट (पीडब्लू28)। जाँच के समापन और प्रथम दृष्टया मामला मिलने के बाद, पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए, 304-बी, आई. पी. सी. की धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, बीदर को सौंप दिया, जिसे सत्र मामला सं. 83/2005 के रूप में दर्ज किया गया था। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, और इसलिए, उन सभी पर उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। 2.2 अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों से पूछताछ की। उपरोक्त गवाहों के माध्यम से, अभियोजन पक्ष ने पीड़ित की मृत्यु घोषणा सहित प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाया। इसके बाद, बचाव पक्ष ने साक्ष्य का नेतृत्व किया और नाबालिग बेटे सहित डी. डब्ल्यू. 1 और डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में दो गवाहों से पूछताछ की। कि अभियुक्तों का आगे का बयान धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था [2019] 6 एस. सी. आर.

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध। अभियुक्त का मामला पूरी तरह से नकारने का था। कि साक्ष्य की सराहना और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने और अभियुक्त के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की ओर से किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। अभियुक्त को बरी करते समय, विद्वत विचारण न्यायालय ने मृत्यु घोषणा के रूप में प्रदर्शनी पी2 को स्वीकार नहीं किया। विद्वत विचारण न्यायालय

दहेज की मांग भी स्वीकार नहीं की।

3. आई. पी. सी. की धारा 34,498 ए, 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करने के विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, गुलबर्गा में सर्किट बेंच आपराधिक अपील संख्या 402/2008 थी। रे पर

अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करते हुए और विस्तृत रूप से ठोस कारण देते हुए, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मृतक के पति को मूल अभियुक्त संख्या 1 को बरी करने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है और उसे आई. पी. सी. की धारा 242,498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। मूल अभियुक्त नं. 1 को दोषी ठहराते हुए, उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त नं. 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा नहीं करने पर धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और 5 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

आईपीसी। उच्च न्यायालय ने मूल आरोपी नंबर 1 को भी दो साल के कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माने का भुगतान, आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन महीने के कठोर कारावास से गुजरना। उच्च न्यायालय ने मूल आरोपी नंबर 1 को छह महीने की सजा और जुर्माने का भुगतान न करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए एक महीने का कारावास। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि लगाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल अभियुक्त संख्या 1 ने

वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

5. श्री वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, विद्वान अधिवक्ता

अभियुक्त की ओर से तथ्यों और विजय मोहन सिंह बनाम में जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

5.1 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार विद्वान विचारण न्यायालय ने ठोस आदेश दिया अभियुक्त को बरी करते समय कारण, हालांकि उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख पर पूरे साक्ष्य को फिर से समझने की अनुमति थी, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करते समय विद्वान विचारण न्यायालय के साथ वजन करने वाले कारणों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या उन कारणों पर विचार नहीं किया है।

5.2 यह आगे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटते समय, उच्च न्यायालय ने बरी करने के खिलाफ अपील के दायरे और दायरे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

5.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है, यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए और दूसरा उसकी बेगुनाही के लिए, वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करना उचित होगा, हालांकि, एक बार जब विद्वान द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया था।

निचली अदालत, सबूतों की सराहना करते हुए, अपीलीय अदालत को पहले निचली अदालत के निष्कर्षों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर वैध होने के लिए।

5.4 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में साक्ष्य और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया है, और उन आधारों पर भी विचार किए बिना अपने स्वयं के निष्कर्ष दिए हैं जिनके आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित [2019] 6 एस. सी. आर. पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के निर्णय, चंदू बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 9 एस. सी. सी. 408 (पैरा 7); सुरिंदर सिंह बनाम यू. पी. राज्य। (2003) 10 एस. सी. सी. 26 (पारस 18 और 19); देवता वेंकटस्वामी उर्फ रंगैया बनाम। लोक अभियोजक, ए. पी. उच्च न्यायालय (2003) 10 एस. सी. सी. 700 (पैरा 5); मुख्य पाल बनाम हरियाणा राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 692 (पैरा 12); चाणक्य धीबर (मृत) बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य। (2004) 12 एस. सी. सी. 398 (पैरा 18); कल्याण सिंह बनाम एम. पी. राज्य (2006) 13 एस. सी. सी. 303 (पैरा 7); बन्नारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 5 एस. सी. सी. 790 (पैरा 10 और 11); मदथिल नारायणन बनाम केरल राज्य (2018) 14 एस. सी. सी. 513 (पैरा 8 और 9); और मोहम्मद। अख्तर @कारी बनाम बिहार राज्य जेटी 2018 (12) एससी 68: (2019) 2 एससीसी 513।

5.6 यह आगे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से यह कि अन्यथा गुण-दोष के आधार पर भी, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 1 को आई. पी. सी. की धारा 302 और 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

5.7 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय-मूल अभियुक्त नं. 1 आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए, उच्च न्यायालय ने कथित मृत्यु घोषणा पर भरोसा करने और/या विचार करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस प्रासंगिक पहलू की सराहना करने में विफल रहा है कि कथित मृत्यु घोषणा को कुछ सुधारों और/या अनिश्चित बयानों के साथ विभिन्न गुणवत्ता वाले कागजों के साथ मुद्रित पत्रों पर दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रासंगिक पहलू की ठीक से सराहना नहीं की है कि मृतक को बंद कमरे के अंदर 90 प्रतिशत तक जलने की चोटें आईं, लेकिन बिना किसी ढक्कन के मिट्टी के तेल के चूल्हे में 800 एमएल मिट्टी का तेल और माचिस का डिब्बा था।

जो एक ही कमरे में पड़ा था, उसमें आग नहीं लगी और जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

5.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-राज्य ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, और पूरे विजय मोहन सिंह बनाम की पुनः सराहना पर।

अभिलेख पर साक्ष्य, जो बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुमत है, उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्ध नहीं किया है विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषमुक्त किए जाने के आदेश को उलटने और परिणामस्वरूप अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि।

6.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है-यह बताएँ कि यह पाए जाने पर कि मूल अभियुक्त को बरी करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, विकृत और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं और इसके बाद साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया है, इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

6.2 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है-यह बताएँ कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर, बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां दोषसिद्धि के खिलाफ अपील से कम नहीं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए फिर से कर सकता है अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना करते हुए और ऐसा करने के बाद और मृत्यु घोषणा को विश्वसनीय पाए जाने के बाद, आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराए जाने में कोई कमी नहीं है।

6.3 प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है-यह बताएँ कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया है; मृत्यु घोषणा और अन्य अभियोजन गवाह जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है कि यह अपीलकर्ता था-मूल अभियुक्त सं। 1 जिसने अपराध किया और इसलिए उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है-मूल अभियुक्त नं। 1 .

6.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि वे तर्क और आधार देखे जाते हैं जिन पर विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया था, तो वे विकृत हैं।

और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल अभियुक्त को बरी करते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से कुछ मामूली विरोधाभासों को अधिक महत्व दिया। हालांकि, इस पर विचार नहीं किया

चिकित्सा साक्ष्य और मृत्यु घोषणा के रूप में भारी साक्ष्य जो साबित हुआ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटकर अभियुक्त को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.5 अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन है कि बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए और खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय उन कारणों की जांच करने में विफल रहा जिनके आधार पर बरी करने का आदेश पारित किया गया था।

और इसलिए उच्च न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, जब बरी किए जाने के निर्णय और आदेश के खिलाफ एक अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठने का संबंध है, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि केवल उपरोक्त आधार पर और यदि अन्यथा इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर, यह पाया जाता है कि विद्वत निचली अदालत ने आरोपी को बरी करने का निर्णय दर्ज करने में उचित नहीं था और निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और अन्यथा गुणदोष पर भी अभियुक्त को दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष सही पाया जाता है, केवल उपरोक्त आधार पर कि उच्च न्यायालय ने उन कारणों पर विचार/जांच नहीं की जिन पर बरी करने का आदेश पारित किया गया था।

अभियुक्त की दोषसिद्धि को दरकिनार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-राज्य ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, एटली बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807; अहेर राजा खीमा बनाम। सौराष्ट्र राज्य 1955 (2) एससीआर 1285; उमेदभाई जादवभाई बनाम। गुजरात राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 228; K.Gopal रेड्डी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355; संबाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412 के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम। केरल राज्य (1999) 3 एससीसी 309।

6.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। 7.1 हमने विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ अभियुक्तों द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय और आदेश पर विचार किया है और उसे पढ़ा है।

उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए और मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए पारित निर्णय और आदेश।

7.2 हमने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. के अपराध पर खुद को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की भी पुनः सराहना की है। 1 .

हमने अभियुक्त को बरी करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कों और निष्कर्षों पर भी विचार किया है।

हमारे पास विजय मोहन सिंह वी. भी है। कर्नाटक राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कों और निष्कर्षों पर विचार किया-मूल अभियुक्त सं। 1 .

8. अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर नए सिरे से विचार करने और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, हम फर्म के हैं।

राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है-मूल अभियुक्त नं। 1 आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी। वर्तमान मामले में, मृतक द्वारा दी गई एक मृत्यु घोषणा है जिसे स्वतंत्र गवाहों, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (पीडब्लू28) द्वारा साबित और समर्थित किया गया है, यह चिकित्सा अधिकारी की जांच करके स्थापित और साबित किया गया है और यहां तक कि चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाणित किया है कि रोगी होश में था और सुसंगत था। और बयान देने के लिए मन की उपयुक्त स्थिति। मृत्यु घोषणा दर्ज करने वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू28 के रूप में पूछताछ की गई थी, उन्हें निम्नानुसार अपदस्थ कर दिया गयाः

" कि वह पी. आर. एल. के रूप में काम कर रहा था। जूनियर सिविल जज, भोंगीर; प्रासंगिक अवधि के दौरान, वे 11 वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिकंदराबाद के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि के अनुसरण में

आई. ओ., पी. एस. अफजल गंज से प्राप्त अनुरोध पर, वह आई. डी. 1 पर उस्मानिया जनरल अस्पताल गए और लगभग 6 बजे उक्त स्थान पर पहुंचेः 25 ए. एम. ; पुलिस और ड्यूटी डॉक्टर की सहायता से, वह एक्यूट बर्न्स वार्ड गया और विजय मोहन सिंह की पत्नी अभिलाष कौर के नाम से पीड़ित से संपर्क किया; एक डॉक्टर राजेश ड्यूटी डॉक्टर था; उसने उक्त डॉक्टर से बातचीत की और पीड़ित की मानसिक स्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट किया।

प्रासंगिक दस्तावेज़ एक्स पर ध्यान दें। पी-2 जो पहले से ही चिह्नित है। इसके अलावा उसने बयान दिया है कि उसने पीड़ित से प्रारंभिक सवाल पूछे और उसके बाद उसके बयान के स्वैच्छिक होने और किसी भी तरह के दबाव में नहीं होने की प्रकृति के बारे में संतुष्ट होने के बाद, उसने अपनी लिखावट में उसका बयान दर्ज किया।

पूर्व में। पी-2 और एक्स। पी-2 (डी) उनके हस्ताक्षर हैं; लिखावट का हिस्सा

पूर्व में। पी-2 उनकी लिखावट में है और वे सही और सही हैं; वे प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं। इसके अलावा, उसने अपदस्थ किया है कि उसने पीड़ित अभिलाष कौर को उसमें दी गई सामग्री को हिंदी भाषा में पढ़ा जो उसे और उसे भी पता था; उस दस्तावेज़ की शुद्धता को स्वीकार करते हुए, पीड़ित ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

Ex के अनुसार। पी-2 (ए); कि उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर [2019] 6 एस. सी. आर. के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

Ex के अनुसार। पी-2 (सी)। इसके अलावा उन्होंने पदच्युत किया है कि

बहुत सावधानी से, उन्होंने पीड़ित अभिलाष का आर. टी. आई. प्राप्त किया कौर एक्स के नीचे। पी-2 (ए); उस पीड़ित अभिलाष कौर ने अपने पति के खिलाफ हमले और उसके तहत कार्रवाई के संबंध में बयान दिया।

उसकी माँ और बहन का प्रभाव कि उसने पैसे की मांग की;

उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत की कि वह इसके लिए जिम्मेदार है

उसके द्वारा जलाए जाने के कारण उसकी पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे एक्स की रिकॉर्डिंग के समय इसे अपदस्थ कर दिया है। पी-2, खुद के अलावा, डॉक्टर और पीड़ित, पास में कोई और मौजूद नहीं था;

पीड़ित वहाँ सामान्य वार्ड में था; ऐसा दर्ज किया गया है

पूर्व के अनुसार पीड़ित का ऐसा बयान। पी-2, वह अपने पास लौट आया

दस्तावेज़ के साथ और आवरण के साथ कार्य स्थल

पत्र, उन्होंने पूर्व भेजा। पी-2 से IV मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हैदराबाद, जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर उस्मानिया अस्पताल और अफजल गंज पुलिस स्टेशन स्थित हैं; और यह कि आवरण पत्र चिह्नित है

जैसे कि एक्स. पी.-2 (ई) और एक्स. पी.-2 (एफ) उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उन्होंने पदच्युत कर दिया है

हैदराबाद के अस्पताल 15 दिनों के लिए और अगले 15 दिनों के लिए, वहाँ कोई अन्य मजिस्ट्रेट होगा; इसी तरह कर्तव्य रखता है

हर 15 दिनों में और संबंधित तिथि के बाद से बदलते हैं

इस बयान की रिकॉर्डिंग उनके कर्तव्य के दिनों के दौरान हुई थी जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था।

एक ही "।

8.1 पूर्व पर। पी-2, चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाणित किया था कि संबंधित समय में रोगी सचेत और सुसंगत और ध्यान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था। मृत्यु घोषणा में, मृतक ने विशेष रूप से कहा

ई मजिस्ट्रेट प्रश्न संख्या का उत्तर देते हुए। 7 & 8 , निम्नानुसारः

पति विजय मोहन सिंह ने मिट्टी के तेल से मिट्टी का तेल लिया। बट्टी स्टोव और इसे मेरे शरीर पर रख दें। मैंने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी।

मेरे शरीर पर छड़ी और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और चला गया जैसे कि मैं अपने चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर जल गया था। QNo.8 क्या किसी का कोई गलत काम/चूक है या क्या आप इसके लिए किसी को दोषी ठहराते हैं?

विजय मोहन सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। वह मुझे मारता है और अपनी माँ और बहनों के प्रभाव में काम करता है। वह मुझसे पैसे मांगता था और मुझे प्रताड़ित करता था। उनकी पहली पत्नी को भी जलाया गया था। उसे। ”

प्रश्न संख्या का उत्तर देते समय। 10 , 11 & 12 , पीड़ित ने कहा कि

इसके अंतर्गतः

Q.No.10 आपके पति विजय मोहन का क्या व्यवहार था?

सिंह?

मेरे पति कहते थे कि मैं पागल हूँ और अक्सर पैसे मांगता हूँ। उनकी पहली पत्नी का नाम कमलजीत कौर था। उसे भी मेरे पति ने जला दिया और वह मर गई। मेरे पति ने मामले को संभाला और बाहर आ गए। (रोगी दर्द में है)। वह मुझसे अपने माता-पिता से पैसे लेने के लिए कहता था।

Q.No.11 आप कमरे से कैसे निकले और आपकी बेटी कहाँ थी?

मैंने दरवाजा खोला और बाहर आई और मेरी बेटी दूसरे कमरे में थी और फिर मुझे बहुत दर्द और जलन हुई।

Q.No.12 आप और क्या कहना चाहते हैं?

बीदर में मैंने पुलिस को उपरोक्त नहीं कहा क्योंकि मेरे पति और मेरे बहनोई मदन मोहन सिंह ने मुझे धमकी दी और मुझे सच न कहने के लिए कहा और इसलिए मैंने गलत बयान दिया। अब मैं सच कह रहा हूँ। श्रीमान, कृपया मेरी मदद करें और मुझे बचाएं। मेरे बच्चे। ध्यान रखें "।

9. इस प्रकार, अपीलार्थी को शामिल करते हुए मृत्यु घोषणा को अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टर की जांच करके स्थापित और साबित किया गया।

साथ ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो मृत्यु घोषणा दर्ज करते हैं। चिकित्सा साक्ष्य के रूप में उपरोक्त भारी साक्ष्य के साथ-साथ मृत्युदंड की घोषणा और महानगर मजिस्ट्रेट के बयान के बावजूद, विद्वत विचारण न्यायालय ने कुछ मामूली विरोधाभासों/चूक पर इसे खारिज कर दिया। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से यह भी प्रतीत होता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने डॉक्टर को इतिहास देते हुए पीड़ित के प्रारंभिक बयान को अनुचित महत्व दिया जब उसे भर्ती किया गया था और जब उसने रसोई में खाना बनाते समय दुर्घटनावश जलने का इतिहास दिया था। हालाँकि, मुकदमा [2019] 6 एस. सी. आर.

अदालत ने मृत्यु घोषणा में दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया। आसपास की परिस्थितियों और चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों पर भी विचार करते हुए, बचाव पक्ष ने बुरी तरह से असफल रहा और साबित किया कि यह एक आकस्मिक जलन/मृत्यु थी। अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं। 1 आखिरी बार उसे घर में देखा गया था और घटना के तुरंत बाद वह भाग गया। इस प्रकार, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे।

10. हमारे द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, यह आवश्यक है

विचार किए जाने के लिए, क्या केवल इस आधार पर कि उच्च न्यायालय ने उन कारणों की जांच नहीं की है जिनके आधार पर बरी करने का आदेश पारित किया गया था और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करके आरोपी को दोषी ठहराया गया था विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा, इस न्यायालय द्वारा इसमें और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है?

11. उमेदभाई जादवभाई (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। इससे पहले के मामले में

न्यायालय, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए, अभियुक्त को बरी करते समय विद्वत निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय की राय को उचित महत्व देगा

सत्र न्यायाधीश यदि उन पर उचित समय के बाद निर्णय लिया गया था

साक्ष्य की सराहना। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू की पूरी तरह से गलत धारणा बनाई है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ "।

11.1 सम्बाशिवन (ऊपर) के मामले में, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया और कहा कि

अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन पर दोषी अभियुक्त, तथापि, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विजय मोहन सिंह बनाम था।

यह पूरी तरह से अवैध था या इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करनाविद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के विपरीत, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को संतुष्ट करने के बाद, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 डेर में कहाः

" 8. हमने यह पता लगाने के लिए अपील के तहत दिए गए फैसले का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय ने उपरोक्त का पालन किया है।

सिद्धांत। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने दोशी मामले (1996) 9 एस. सी. सी. 225 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्रवाई नहीं की है। सबसे पहले इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए सभी तर्कों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन स्वयं के तहत निर्णय को दरकिनार करने को उचित ठहराएगा

अपील? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण जो एक अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया है, खुद को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और क्या अपीलीय अदालत का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह ठहराने के लिए कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत का फैसला किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के फैसले को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, केवल बरी करने के समर्थन में एक को खड़ा होना होगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। "

सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने का आदेश दर्ज करना उचित नहीं था और कई पहलुओं पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करने में उचित नहीं था, जबकि अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरा अधिकार था। इस न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि निचली अदालत ने आंख की गवाही को खारिज करने के लिए जो कारण प्रस्तुत किए हैं

गवाह बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत है

और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करे। 11.3 एटली (ऊपर) के मामले में, पैराग्राफ 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत धारा 417 के तहत एक अपील में, आपराधिक पी. सी. इस धारणा पर नहीं आती कि अपील के तहत बरी होने का निर्णय विकृत था वह उस आदेश को दरकिनार नहीं कर सका।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है। अदालत ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर, निश्चित रूप से,

इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले से मजबूत होती है, जिसे गवाहों के आचरण का पालन करने का लाभ मिलता था, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था।

इसकी उपस्थिति में नृत्य को दर्ज किया गया है।

विजय मोहन सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास व्यापक शक्तियां हैं

ए. सी. छोड़ने के आदेश के खिलाफ अपील में साक्ष्य की सराहना, जैसा कि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, सवारों के अधीन है कि निर्दोषता का अनुमान जिसके साथ आरोपी व्यक्ति निचली अदालत में शुरू होता है, अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और अपीलीय अदालत को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने आदेश दर्ज किया था।

दोषमुक्त करने का।

यदि अपीलीय न्यायालय उन मुख्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य 1952 CRILJ331; विलायत खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122 हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने आप में आने के लिए उचित नहीं था

निष्कर्ष "।

11.4 रेड्डी (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि जहां विचारण न्यायालय स्वयं को काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ होने देता है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करता है और साक्ष्य का विचार करता है जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन को नए सिरे से लागू किया जाए।

12. उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए, यह सामने आता है कि उस मामले में भी जहां उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में विशेष रूप से विचार किए बिना बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों और विशेष रूप से यह देखे बिना कि कारण विकृत हैं, यह न्यायालय अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को बनाए रख सकता है, यदि यह न्यायालय स्वयं संतुष्ट है कि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है। यह भी सामने आता है कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार है।

तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा कि पूरे साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाए कि दो विचार संभव हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. अभियुक्त को बरी करते समय अभिलेख पर दिए गए पूरे साक्ष्य और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुनः समीक्षा करने पर,

सबूत, यहाँ ऊपर चर्चा की गई है। अतः, अपीलार्थी के बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप और साक्ष्य पर विचार करने पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि के निष्कर्ष को दर्ज करना उचित है। फैसला

अपील के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. अब जहाँ तक अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनका उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है,

विशेष रूप से मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय का एक हालिया निर्णय।

अख्तर @कारी (ऊपर) चिंतित हैं, सबसे पहले, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संदर्भ में कोई विवाद नहीं हो सकता है। तथापि, हमारी राय है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यहां तक कि मोहम्मद के मामले में भी। अख्तर @कारी (ऊपर), साक्ष्य की सराहना पर, इस अदालत ने पाया कि निचली अदालत द्वारा लिए गए संभावित दृष्टिकोण पर बरी करना उचित था। साक्ष्य की सराहना पर, इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय बरी किए जाने के फैसले को केवल इसलिए उलट नहीं सकता था क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण संभव था। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, और अभिलेख पर दिए गए पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दो उचित विचार संभव हैं और इसलिए अभियुक्त का समर्थन करने वाले विचार को अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियुक्तों को बरी करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं और विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। इसलिए, सम्बाशिवन (ऊपर); उमेदभाई जादवभाई (ऊपर) और एटली (ऊपर) के मामलों में इस अदालत के उपरोक्त फैसलों पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश विजय मोहन सिंह बनाम है।

कर्नाटक राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपील के तहत निर्णय और आदेश ए किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और वह खारिज किए जाने के योग्य है, और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान